तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/ 6362/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम भंवरदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30-04-2026	**एकलपीठ** **श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जानी सिंह, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं । — **आदेश** 1— राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अपर जिला कलेक्टर, भीलावाड़ा ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 14—07—2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है। 2— रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार हुरड़ा ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अपर जिला कलेक्टर, भीलावाड़ा को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी मंदिर/मूर्ति संरक्षक राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरड़ा होकर तहसील हुरड़ा के राजस्व ग्राम सुल्तानपुरा के साबिक खसरा सं. 202 रकबा 2.05 बीघा जमाबंदी संवत् 2011 से 2014 के अनुसार मंदिर मूर्ति श्री चारभुजा स्थान सुल्तानपुरा के नाम दर्ज थी। नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू भाग के नवीन आराजी सं. 708, 709 रकबा 1.14 बीघा व 0.18 बीघा कायम करते हुए वर्णित भूमि को अप्रार्थीगण के पिता व पति के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है। इनके पिता का स्वर्गवास हो जाने से वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम भूमि अभिलिखित है। अतः मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर उक्त भूमि को वापिस माफी मंदिर **श्री चारभुजा स्थान सुल्तानपुरा** के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, हुरड़ा द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अपर जिला कलेक्टर, भीलावाड़ा को प्रस्तुत किया। अपर जिला कलेक्टर, भीलावाड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14—07—2006 द्वारा रेफेरेंस प्रकरण वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर **श्री चारभुजा स्थान सुल्तानपुरा** के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। 3— विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर **श्री चारभुजा स्थान सुल्तानपुरा** के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/ 6362/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम भंवरदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थी के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। 4— अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। 5— जमाबन्दी खतौनी बंदोबस्त ग्राम सुलतानपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा संवत् 2011 से 2014 में खसरा सं. 202 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा मंदिर मूर्ति **श्री चारभुजा स्थान सुल्तानपुरा** के नाम दर्ज थी। जमाबन्दी खेवट खतौनी बंदोबस्त ग्राम सुलतानपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा संवत् 2019 से 2022 में खसरा सं. 202 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज होना अंकित है। भू सेटलमेंट विभाग के मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा सं. 202 का नवीन खसरा सं. 708 रकबा 1.14 बीघा तथा खसरा सं. 709 रकबा 18 बिस्वा होना अंकित है। जमाबन्दी खतौनी ग्राम सुलतानपुरा पटवार क्षेत्र सुल्तान पुरा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हुरड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा संवत् 2037 से 2040 में खसरा सं. 709 रकबा 18 बिस्वा धन्नादास पिता लछमण दास बेरागी साधु सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 में खसरा सं. 709 रकबा 18 बिस्वा धन्नादास पिता लछमण दास बेरागी साधु सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 में खसरा सं. 709 रकबा 18 बिस्वा भवंरदास शांतिदास तुलसीदास पिता धन्नादास व सजनी बेवा धन्नादास बैरागी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। 6— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/ 6362/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम भंवरदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थी के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। 7— निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुल्तानपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित विवादित आराजी खसरा नंबर 709 रकबा 18 बिस्वा माफी मंदिर **श्री चारभुजा स्थान सुल्तानपुरा** के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में किये गये नामान्तकरण निरस्त करते हुए पुनः ''माफी मंदिर **श्री चारभुजा स्थान सुल्तानपुरा** '' के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण के नाम विलोपित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(राजेन्द्र सिंह कविया)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर. /2006/ 6362/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम भंवरदास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए